उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्जाजज

मस्त्री ................ बनाम ................ जगदीश ................

मु.नं. – 92/22 किस्म – 0.2

अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र 0.2 दिनांक 30.12.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

30.12.25 — अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक नहीं हो सका। पत्रावली प्रश्नानुसार दिनांक 29.01.26 को पेश हो।

29.01.26 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हेतु मय मूल बाद के साथ मस्त्री हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 92/2022 | 01.11.2022 | 29.01.2026 |

**बउनवान**

1. नत्थी पत्नी लालाराम, निवासी हीगवा, तहसील सिकराय, जिला दौसा, हाल निवासी सी 22 गोकुलपुरी दिल्ली ।

..प्रार्थिया/सायला

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र यादराम, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. हरि पुत्र स्व. यादराम, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
3. हजारी पुत्र स्व. यादराम, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. नहनी देवी पत्नी स्व. यादराम, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
5. उगन्ती पुत्री स्व. यादराम, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
6. चन्दा पुत्री स्व. यादराम, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थिया – श्री भुवनेश त्रिवेदी।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 – श्री प्रीतम चन्द सैनी।

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

1. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा सं. 75/538 ग्राम पालोदा, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में स्थित है। इस खेत के आगे विवादित आराजी खसरा सं. 74 अप्रार्थीगण की खातेदारी में स्थित है। सडक से लगता हुआ खेत खसरा सं. 74 है जिसके पीछे प्रार्थिया का खेत खसरा सं. 75/538 है। प्रार्थिया के खेत को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिये आराजी खसरा सं. 74 में होकर 30 फीट का रास्ता सडक मण्डावर महवा रोड से लेकर प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा सं. 75/538 तक देने की कृपा करें। प्रार्थिया विधि अनुसार शुल्क डीएलसी दर के अनुसार भुगतान करने को तैयार हैं। कानून और अदालत का जो भी आदेश होगा, उसकी पालना करने को तैयार हैं। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण से दिनांक 14.10.2022 को रास्ता मांगा तो रास्ता देने से इंकार कर दिया तथा कहा कि हम सम्पूर्ण भूमि का दीगर व्यक्ति को बेचान

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करेंगे, खसरा सं. 74 में निर्माण करेंगे, तुमको रास्ता नहीं देंगे। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्ट्या मामला सायला के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि आराजी खसरा सं. 74 में पुख्ता निर्माण कर दिया तो पुख्ता निर्माण को तोडना मुश्किल हो जायेगा या विक्रय कर दिया तो प्रार्थिया की आराजी खसरा सं. 75/538 के लिये रास्ता नहीं मिल पायेगा, मुकदमाबाजी बढेगी। इसलिये दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा जिससे सायला को अपूरनीय क्षति होगी। अतः अर्ज है कि खसरा सं. 74 ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में पुख्ता निर्माण नहीं करे एवं खसरा सं. 74 का रहन, बेचान नहीं करें, मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 07 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 74 महवा से मण्डावर को जाने वाले स्टेट हाईवे सं. 921 पर स्थित है। उक्त भूमि बहुत ही कीमती भूमि है। प्रार्थिया अप्रार्थीगण की उक्त बेशकीमती भूमि को रास्ते के रूप में हडपना चाहती है जबकि अप्रार्थीगण तीन भाई व दो बहिन है एवं उनके पास रहने को सडक किनारे अन्य कोई भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि खसरा सं. 74 में अपनी रहबास बनाकर रहना चाहते हैं। यदि उक्त भूमि में से प्रार्थिया को रास्ता दे दिया तो अप्रार्थीगण को रहने लायक भूमि भी नहीं रहेगी। चूँकि उक्त खसरा सं. 74 रकबा 0.11 हैक्टे. का ही है, इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 74 रकबा 0.11 हैक्टे. में से होकर प्रार्थिया को रास्ता दे दिया गया तो अप्रार्थीगण के रहबास हेतु जमीन की कमी हो जायेगी एवं अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थिया आज से पूर्व जिस रास्ते से होकर खेत में जाती है, उसी से वह रास्ता लेने की कानूनन अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

***212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध*** – *इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, वर्तमान में उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 74 की प्रार्थिया दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खसरा सं. 74 में से प्रार्थिया के खसरे 75/538 में जाने के लिए रास्ता मुहैया किये जाने के लिए प्रस्तुत किया है। उक्त रास्ता दिये जाने का निर्धारण संबद्ध प्रार्थना पत्र में गुणावगुण पर तय हो सकेगा। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा अप्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

## आदेश

5. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)